



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231711
CG-DL-E-08122021-231711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

उपभोक्ता मामले विभाग

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

फा. सं. बीएस/11/11/2021.—ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में, अनुसूची - II में, स्कीम VIII के पश्चात्, निम्नलिखित स्कीम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्कीम - IX

यथा निर्दिष्ट भारतीय मानक के लिए प्रबंध पद्धति की अनुरूपता एवं प्रक्रिया अपेक्षाओं की अनुरूपता के साथ संयोजित भारतीय मानक की अनुरूपता हेतु सामान एवं वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह प्रयोग करने या आवेदन करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूरी हेतु अनुरूपता निर्धारण स्कीम

- विषयक्षेत्र-** (1) इस स्कीम के अधीन जो उत्पाद प्रमाणन और प्रबंधन प्रणाली के संयोजन के साथ-साथ प्रक्रिया आवश्यकताओं पर आधारित है, यदि लागू हो, तो ब्यूरो सामान या वस्तु के लिए मानक चिन्ह का उपयोग करने या लागू

करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है (इसके पश्चात् उत्पाद के रूप में संदर्भित) एक विनिर्माण परिसर में निर्मित है जो उस उत्पाद के लिए भारतीय मानकों की सभी आवश्यकताओं और प्रासंगिक भारतीय मानकों के लिए प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता और यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यकताओं के अनुरूप है।

स्पष्टीकरण: "विनिर्माण परिसर" से अभिप्रेत है, परिसर, या तो विनिर्माता के स्वामित्व में या अन्यथा, जहां विनिर्माण गतिविधि का एक हिस्सा होता है और इसमें ऐसे परिसर सम्मिलित होते हैं जहां अंतिम विनिर्माण गतिविधि की जाती है और जहां मानक चिह्न का उपयोग किया जाना है या उसे लगाया जाना है।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करना और उसका संचालन पैरा 3 के अधीन प्रक्रिया विवरण के अनुसार किया जाएगा।

2. परिभाषाएँ - (1) "निरीक्षण और परीक्षण स्कीम" से भारतीय मानक के अनुपालन के लिए उत्पाद के अंतिम परीक्षण सहित उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में प्रयोगशाला स्थापित करने और उसे नियंत्रित करने के लिए विनिर्माता द्वारा अपनाई गई स्कीम अभिप्रेत है और ऐसी स्कीम नियंत्रण स्तर और निरीक्षण और परीक्षण की आवृत्ति निर्दिष्ट करती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम उत्पाद प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप है।

(2) "तीसरा पक्ष प्रयोगशाला" से ब्यूरो द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या ब्यूरो द्वारा पैनल में सम्मिलित किसी भी सरकारी प्रयोगशाला या ब्यूरो की कार्यकारी समिति द्वारा तय की गई कोई अन्य प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

3. स्कीम की प्रक्रियाएं- (1) चयन-(क) विनिर्माता निम्नलिखित की पहचान करेगा

(i) उत्पाद के लिए लागू भारतीय मानक, और लागू प्रबंधन प्रणाली, यथा अपेक्षित, भारतीय मानक जिसके लिए वह अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है।

(ii) विनिर्माण परिसर में उपलब्ध मशीनरी और एक सूची तैयार करें और यदि विनिर्माण गतिविधि का कोई भाग आउटसोर्स किया जाता है, तो ऐसे प्रयोग किए गए नियंत्रणों का विवरण दर्शाया जाएगा।

(iii) प्रासंगिक भारतीय मानक, संबंधित निरीक्षण और परीक्षण योजना के अनुसार परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण उपकरण और उपलब्ध उपकरणों की एक सूची तैयार करना;

(iv) उन परीक्षणों के लिए जिन्हें उप-अनुबंधित करने की अनुमति है और विनिर्माता के पास उपलब्ध नहीं हैं, वह कारखाने के बाहर परीक्षण सुविधा की पहचान करेगा जहां ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं और ब्यूरो को इसकी सूचना देगा;

(ख) विनिर्माता निरीक्षण और परीक्षण योजना प्रस्तुत करेगा जिसका वह अपने दैनिक उत्पादन में लागू करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम उत्पाद प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप है;

(ग) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय मानक की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद का परीक्षण किया गया है;

(घ) जहां किसी भी परीक्षण की अवधि एक महीने से अधिक है और विनिर्माता की नयी विनिर्माण इकाई है, ब्यूरो द्वारा संबंधित उत्पाद के लिए छूट की अनुमति दी जा सकती है;

(ङ) यथा अपेक्षित, जिस अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, उससे संबंधित भारतीय मानक के अनुसार प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता के लिए विनिर्माता उत्तरदायी होगा और ब्यूरो द्वारा अपेक्षित होने पर ऐसी अनुरूपता का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

(च) विनिर्माता ब्यूरो द्वारा जहां कहीं भी निर्दिष्ट हो प्रक्रिया अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा;

(छ) विनिर्माता इस स्कीम से जुड़े प्ररूप -I के अनुसार सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है और ब्यूरो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया या उसके किसी भी संयोजन का पालन करेगा, अर्थात्: -

(i) (I) विनिर्माता आवेदन के साथ उत्पाद की पूरी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो किसी तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला से जारी की गई हो;

(II) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार दौरे की व्यवस्था करेगा, और तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला परीक्षण के लिए एक सत्यापन नमूना ले सकता है;

(III) ब्यूरो, यदि अपेक्षित हो, तो इन-हाउस या बाहर, निर्माता के पास उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधा में उत्पाद का परीक्षण करा सकता है;

(IV) सत्यापन नमूने की परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, यदि नमूना लिया गया है और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति की समीक्षा की जाएगी;

(ii) (I) ब्यूरो यथा अपेक्षित उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली की लेखा परीक्षा के लिए दौरे की व्यवस्था करेगा, जब कारखाने में उत्पाद के परीक्षण इन-हाउस या कारखाना से बाहर स्थित निर्माता के पास पूर्ण परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों।;

(II) कारखाने में नमूनों के परीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी;

(iii) ब्यूरो उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली की लेखा परीक्षा के लिए दौरे की व्यवस्था करेगा, और तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था करेगा और इस नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से अनुरूपता के प्रदर्शन के बाद अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी;

(iv) (I) ब्यूरो, यथा अपेक्षित उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन और प्रबंधन प्रणाली की लेखा परीक्षा के लिए दौरे की व्यवस्था करेगा, और कुछ आवश्यकताओं के लिए कारखाने में उत्पाद का परीक्षण करेगा जिसके लिए निर्माता के पास इन-हाउस या कारखाने के बाहर परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष या सभी आवश्यकताओं के लिए तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नमूने लेगा;

(II) सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप सिद्ध होने वाले नमूनों के परीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी;

(ज) विदेशी विनिर्माताओं के मामले में, भारत में स्थित एक अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा।

(2) निर्धारण- (क) ब्यूरो आवेदन प्राप्त होने पर, जांच करेगा कि क्या आवेदन के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज जमा किए गए हैं, और यदि आवेदन पूरा हो गया है, तो यह यथा अपेक्षित उत्पादन प्रक्रिया के मूल्यांकन अनुरूपता निर्माता के परामर्श से उत्पाद, प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया अपेक्षाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करेगा;

(ख) दौरे के दौरान, ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों की जाएंगी:

(i) निर्माता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन;

(ii) विभिन्न चरणों में प्रयोग किए गए नियंत्रण के स्तरों के साथ संयंत्र लेआउट और निर्माण प्रक्रिया का सत्यापन;

(iii) विनिर्माण मशीनरी और परीक्षण उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभारी व्यक्ति की क्षमता, भंडारण सुविधाओं और स्वच्छ परिस्थितियों सहित उपलब्ध बुनियादी ढांचे का सत्यापन, यदि लागू हो;

(iv) निर्माता द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण और परीक्षण स्कीम के अनुपालन का सत्यापन;

(v) परीक्षण उपकरण अंशांकन स्थिति का सत्यापन;

(vi) परीक्षण कर्मियों की क्षमता का सत्यापन;

(vii) तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर या सभी संभावित परीक्षणों के लिए कारखाने में उत्पाद के परीक्षण के साक्षी के आधार पर प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता का सत्यापन;

(viii) उत्पाद का नमूना लेना और उसे परीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला में भेजना;

(ix) आवश्यकतानुसार प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार, प्रबंधन प्रणाली की लेखा परीक्षा;

(x) यथा निर्दिष्ट, प्रक्रिया आवश्यकताओं के अनुपालन का सत्यापन;

ग) मूल्यांकन दौरे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और दौरे के दौरान पाई गई कोई भी अपर्याप्तता के बारे में निर्माता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और ब्यूरो दस्तावेजों की जांच के आधार पर या किये गये मूल्यांकन दौरों के आधार पर विनिर्माता से ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन कराने की अपेक्षा रख सकता है।

(3) समीक्षा- (क) उप-पैरा (2) की अपेक्षाओं के साथ इसके अनुपालन के लिए मूल्यांकन दौरों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी;

(ख) उत्पाद के परीक्षण परिणाम की समीक्षा भारतीय मानक की उनकी शुद्धता और अनुरूपता से की जाएगी;

(ग) प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार यथा आवश्यक प्रबंधन प्रणाली की अनुरूपता की भी समीक्षा की जाएगी।

(4) विनिश्चय - जब ब्यूरो संतुष्ट हो कि विनिर्माता के पास निरंतर आधार पर गुणवत्ता वाले उत्पाद के विनिर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा है, परीक्षण के परिणाम निर्दिष्ट आवश्यकताओं, और प्रबंधन प्रणाली के लिए उत्पाद की अनुरूपता का संकेत देते हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप है और प्रक्रिया अनुपालन आवश्यक और निर्दिष्ट के अनुसार है तभी अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्णय लिया जाएगा।

(5) अनुप्रमाणन- अनुज्ञप्ति मंजूर करने का निर्णय लेने पर, अनुज्ञप्ति के विषयक्षेत्र, अनुज्ञप्ति संख्या, निर्माता का पता, अनुज्ञप्ति की वैधता, प्रमाणन शुल्क, भारतीय मानक का विवरण, मानक चिह्न की प्रतिकृति का संकेत देते हुए निर्माता को इस स्कीम के साथ संलग्न प्रारूप - II के अनुसार लागू अनुप्रमाणन जारी किया जाएगा:

परंतु विदेशी विनिर्माताओं के मामले में, अनुज्ञप्ति और क्षतिपूर्ति बांड प्रदान करने के लिए करार, एक सौ रुपए के विधिवत् निष्पादित, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विदेशी विनिर्माता या उसके अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि द्वारा जमा किया जाएगा:

परंतु यह भी कि अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीनीकरण की तारीख को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शाखा वाले किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए पच्चीस हजार अमेरिकी डॉलर के लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी विदेशी विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी या वैकल्पिक रूप से, विदेशी विनिर्माता द्वारा पच्चीस हजार अमेरिकी डॉलर के लिए समकक्ष भारतीय रूपयों में कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जमा की जाएगी।

(6) निगरानी - (क) ब्यूरो विनिर्माण परिसर में पूर्व सूचना देकर या उसेक बिना निगरानी दौरा कर सकता है और निगरानी दौरा करने की आवश्यकता को उत्पाद से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए तय किया जा सकता है;

(ख) इस तरह के दौरे के दौरान पाई गई किसी भी भिन्नता को विनिर्माता को सूचित किया जाएगा और ब्यूरो ऐसे दौरे के दौरान परीक्षण के लिए नमूने ले सकता है;

(ग) ब्यूरो बाजार से नमूने ले सकता है और परीक्षण के अनुरोध के साथ ऐसे नमूनों को परीक्षण के लिए किसी तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला में भेज सकता है और यदि किसी कारण से बाजार से नमूना लेना संभव न हो तो नमूने प्रेषण बिंदु से लिए जा सकते हैं;

(घ) ब्यूरो अधिमानतः संगठित खरीदारों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है।

4. शिकायतें.- (1) ब्यूरो अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को स्वीकार करेगा और उसकी जांच करेगा।

(2) शिकायत को बंद करने की कार्रवाई नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, जहां उत्पाद का परीक्षण सम्मिलित है वहाँ परीक्षण समय को छोड़कर ऐसा किया जाएगा।

(3) यदि शिकायत सही पाई जाती है तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

5. शुल्क.- (1) आवेदन शुल्क, लेखा परीक्षा शुल्क और प्रमाणन शुल्क उपाबंध - I में निर्दिष्टानुसार होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इकाई दर के आधार पर वास्तविक प्रमाणन शुल्क या न्यूनतम प्रमाणन शुल्क, जो भी अधिक हो, प्रत्येक वर्ष देय होगा।

टिप्पण 1: पहले वर्ष के लिए वास्तविक प्रमाणन शुल्क की गणना पहले नौ महीनों के दौरान मुहरांकित इकाइयों में मात्रा के साथ इकाई दर को गुणा करके की जाएगी।

टिप्पण 2: बाद के वर्षों के लिए वास्तविक प्रमाणन शुल्क की गणना पहले नौ महीनों के बाद वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर की जाएगी।

(3) अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में, ब्यूरो द्वारा प्रमाणन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा:

भारतीय मानक वापस लिए जाने पर परंतु किसी अन्य भारतीय मानक द्वारा प्रतिस्थापित न किए जाने पर आनुपातिक प्रमाणन शुल्क वापस किया जाएगा।

(4) निगरानी या शिकायत की अंतिम जांच प्रयोजन के लिए किए जाने वाले दौरों के अलावा किसी भी यात्रा लागत का वहन विनिर्माता को करना होगा।

(5) अनुज्ञप्ति के दायरे के विस्तार के मामले में, नए उत्पाद या किस्म या किस्मों के समूह के लिए अनुज्ञप्ति के कार्यक्षेत्र में प्रत्येक परिवर्धन पर पांच हजार रुपये की राशि प्रभार्य होगी (जहां समूह दिशानिर्देश उपलब्ध हैं या पद्धति है) और ऑडिट शुल्क जैसा उपाबंध -I निर्दिष्ट है उसी प्रकार लागू होगा।

(6) आवेदक सत्यापन यात्रा, निगरानी या शिकायत की जांच, जैसा भी मामला हो, के दौरान लिए गए नमूनों के अलावा अन्य नमूनों का परीक्षण शुल्क विनिर्माता द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) यदि वास्तविक प्रमाणन शुल्क न्यूनतम प्रमाणन शुल्क से अधिक है तो शुल्क के अंतर का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा।

(8) उत्पादन की मात्रा अधिक होने पर, ब्यूरो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को तिमाही आधार पर वास्तविक प्रमाणन शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

6. लेबलिंग और मुहरांकन अपेक्षाएँ.- (1) अनुज्ञप्ति के अधीन प्रत्येक उत्पाद या पैकेज या दोनों को मानक चिन्ह के साथ चिह्नंकित किया जाएगा।

(2) दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए मानक चिन्ह का डिज़ाइन उपाबंध - II में दिये अनुसार होगा और अन्य मामलों में, मानक चिन्ह का डिज़ाइन योजना-I में दिये अनुसार होगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए ब्यूरो द्वारा कोई अन्य मानक चिन्ह अधिसूचित न किया गया हो।

(3) मानक चिन्ह में अनुज्ञप्ति संख्या और दिखने वाला मानक का संदर्भ होगा और अनुज्ञप्ति में निर्दिष्टानुसार होगा।

(4) यदि अनुज्ञप्ति संख्या को मानक चिन्ह के नीचे नहीं रखा जा सकता है, तो इसे उपयुक्त रूप से मानक चिन्ह के पास रखा जाए।

(5) भारतीय मानक की अपेक्षा के अनुसार उत्पाद विवरण, जिसमें विविधता, लॉट या बैच संख्या, निर्माण की तारीख या सप्ताह, विनिर्माता का पूरा पता आदि सम्मिलित हो सकते हैं, इन्हें उत्पाद या पैकेजिंग पर या तो मुहरांकित किया जाएगा या उत्पाद से जुड़े एक लेबल पर लिखना होगा।

(6) चिह्नंकन विवरण में ब्यूरो की वेबसाइट का संदर्भ भी निहित होगा जिससे उपभोक्ता, यदि चाहें, तो अनुज्ञप्ति के अधीन सम्मिलित किए गए उत्पाद की प्रामाणिकता सत्यापित कर सके।

(7) यदि मानक चिह्न उत्पाद या पैकेजिंग पर भौतिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे परीक्षण प्रमाण-पत्र पर दिया जा सकता है।

(8) किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए, ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त लेबलिंग और चिह्नंकन अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

7. अनुज्ञप्ति की शर्तें- विनियम 6 में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लेख अनुज्ञप्ति में किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात्: -

(1) अनुज्ञप्ति धारक, -

(क) हर समय, उस पद्धति का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;

(ख) अनुज्ञप्ति का उपयोग ऐसे किसी भी तरीके से नहीं करेगा जो ब्यूरो के अनुसार भ्रामक हो या ब्यूरो द्वारा गैर-अनुमत मानक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता है या लगा नहीं सकता है;

(ग) प्रबंधन या फर्म के पते या शर्तों में पूर्व में घोषित किए गए किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करेगा;

(घ) भारतीय मानक या संशोधित भारतीय मानक में हुए संशोधन के उपबंधों को लागू करेगा, जैसा भी मामला हो साथ ही ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर हुए संशोधन या संशोधन जारी करने पर भी इन्हें लागू करेगा;

(ङ) समय-समय पर ब्यूरो द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करेगा;

(2) वैधता की अवधि समाप्त होने पर या अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्द होने पर, अनुज्ञप्ति धारक-

(क) इसके उपयोग को तत्काल बंद कर दें और सभी प्रचार और विज्ञापन सामग्री को वापस ले लें जिसमें इसका कोई संदर्भ हो;

(ख) अनुज्ञप्ति अभ्यार्पित या रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति दस्तावेज ब्यूरो को वापस कर दें;

(ग) तीन महीने से अधिक संचालन को बंद करने के बारे में ब्यूरो को लिखित रूप में सूचित करेंगा;

(3) अनुरूपता मूल्यांकन योजना की अपेक्षाओं के अनुसार ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा अनुज्ञप्ति के अनुदान और संचालन से संबंधित अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियाँ की जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं।

8. अनुज्ञप्ति की वैधता - (1) मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(2) लागू भारतीय मानक के पुनरीक्षण या अधिक्रमण के मामले में अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(3) मानक चिह्न का उपयोग करने की अनुज्ञप्ति आम तौर पर तीन साल की अवधि के लिए पुनः प्रमाणित होती है और आदेश में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होती है।

(4) पुनः प्रमाणन अवधि को पुनः प्रमाणन निर्णय या लागू भारतीय मानक के पुनरीक्षण या विनिर्माता के अनुरोध के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने और पुनः प्रमाणन शुल्क सहित सभी शुल्कों का भुगतान अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा।

9. अनुज्ञप्ति का पुनर्प्रमाणीकरण-(1) मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति के पुनर्प्रमाणीकरण हेतु ब्यूरो को आवेदन इसकी समाप्ति से पांच माह पूर्व करना होगा।

(2) अनुज्ञप्ति का पुनः प्रमाणीकरण विनियम 8 के अनुसार किया जाएगा।

(3) मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति का पुनः प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा, -

(क) यदि पुनः प्रमाणीकरण का आवेदन पूर्ण पाया जाता है;

(ख) निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर; तथा

(ग) संबंधित भारतीय मानक के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया और प्रबंधन पद्धति के सफल पुनर्मूल्यांकन पर, जैसा भी लागू हो।

10. अनुज्ञप्ति के कार्य-क्षेत्र में बदलाव - (1) अनुज्ञप्ति के कार्य-क्षेत्र में विस्तार के लिए आवेदन या तो किसी तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा जारी उत्पाद की पूरी परीक्षण रिपोर्ट के साथ या ब्यूरो से नमूना लेने के अनुरोध के साथ किया जाएगा, जिससे कि इन-हाउस या विनिर्माता के परिसर के बाहर उसका परीक्षण किया जा सकेगा।

(2) विनिर्माता प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया अपेक्षाओं में किसी भी बदलाव का यथा लागू विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

(3) ब्यूरो, यदि आवश्यक हो, मूल्यांकन दौरा कर सफल मूल्यांकन के बाद अनुज्ञप्ति का कार्य-क्षेत्र बदल सकता है।

(4) यदि विनिर्माण मशीनरी और परीक्षण उपकरण सहित निरीक्षण और परीक्षण योजना या बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं है, और अनुज्ञप्ति के कार्य-क्षेत्र में विस्तार नमूना दिशा-निर्देशों के एक ही समूह में है, तो अनुज्ञप्ति के कार्य-क्षेत्र में विस्तार के लिए परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

11. निलंबन - (1) अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रमाणपत्र के प्रयोग को ब्यूरो को सूचित करते हुए स्वतः निलंबित करेगा, यदि किसी भी समय, अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तक उत्पाद की अनुरूपता के अनुरक्षण में कठिनाई होती है या कोई भी परीक्षण उपकरण खराब हो जाता है या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, आग, भूकंप

इत्यादि के कारण, या प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी, या एक सक्षम अदालत या कानूनी प्राधिकारी के निर्देशन के कारण प्रचालन बंद किया जाता है।

(2) कमियां दूर किए जाने और ऐसे इसकी सूचना तत्काल लेकिन ऐसे निलंबन के सात दिन से पूर्व ब्यूरो को दिए जाने पर प्रशीघ्र से शीघ्र निलंबन वापस किया जा सकता है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी मानक मुहर का प्रयोग स्वतः निलंबित करेगा अथवा विनिर्माण इकाई नए परिसर में स्थानांतरित किए जाने पर ब्यूरो को सूचित करेगा।

(4) ब्यूरो पुराने परिसर का सत्यापन और नए परिसर में उत्पादन प्रक्रिया, प्रबंध पद्धति और अनुपालन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के पश्चात् निलंबन वापस ले सकता है।

(5) (क) किसी भी समय पर्याप्त साक्ष्य होने पर कि मानक मुहर लगा उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है, ब्यूरो एक या उससे अधिक उत्पादों पर मानक मुहर के प्रयोग को निलंबित कर सकता है और इसका उपयोग रोकने के लिए धारक को निर्देशित कर सकता है, और साक्ष्य में निम्नलिखित एक या अधिक सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात्:

(i) संबद्ध भारतीय मानक, यथा लागू, के अनुसार उत्पाद की गैर-अनुरूपता दर्शाने वाली निरंतर परीक्षण रिपोर्ट;

(ii) परीक्षण कार्मिक की अनुपलब्धता जबकि मानक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है;

(iii) गैर अनुरूपता उत्पादों पर मानक चिन्ह का उपयोग या मानक चिन्ह का उपयोग अन्य तरीके से करना जो ब्यूरो द्वारा अनुमत न हो;

(iv) निर्दिष्ट निरीक्षण और परीक्षण स्कीम के कार्यान्वयन में प्रमुख अंतर पाए जाने पर;

(v) संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप प्रबंध पद्धति की अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रमुख अंतर पाए जाने पर;

(vi) निर्दिष्ट प्रक्रिया अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रमुख अंतर पाए जाने पर;

(vii) ब्यूरो के पूर्व-मूल्यांकन के बिना विनिर्माण प्रक्रिया में बड़े संशोधन;

(viii) बिना सूचना दिए विनिर्माण इकाई को नए पते पर स्थानांतरित करना;

(ix) बिना सूचना दिए विनिर्माण इकाई का छः माह से अधिक अवधि के लिए बंद होना;

(x) ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई न किया जाना;

(xi) अनुज्ञप्ति के संबंध में झूठी घोषणा करना या अभिलेखों के मिथ्याकरण में या अनुचित व्यापार रीतियों में लिप्त होना;

(xii) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश का अनुपालन न किया जाना;

(ख) वे अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति सभी या विशिष्ट उत्पाद के लिए निलंबनाधीन है, रोक दें-

(i) ऐसे उत्पाद पर मानक चिन्ह का उपयोग करना या लगाना;

(ii) मानक चिन्ह लगे ऐसे उत्पाद का प्रेषण।

(ग) सुधारात्मक कार्यवाही की पुष्टि करने के बाद यह सूचना ब्यूरो को तुरंत भेजी जाएगी और ब्यूरो सुधारात्मक कार्यवाही के सत्यापन के लिए फैक्टरी के दौरे की व्यवस्था कर सकता है

(घ) ब्यूरो द्वारा निलंबन वापस लेने की कार्यवाही तभी की जाएगी जब अनुज्ञप्तिधारी ने:

(i) आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की हो; या

(ii) संबद्ध भारतीय मानक से उत्पाद की अनुरूपता के पर्याप्त प्रमाण, संबद्ध मानक की प्रबंध पद्धति और निर्दिष्ट प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अनुपालन के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराएं हो।

(6) आवेदक द्वारा अपेक्षित फीस व अन्य राशि का भुगतान न किए जाने पर ब्यूरो इक्कीस दिन का नोटिस जारी करके अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को उत्पाद पर मानक चिन्ह का उपयोग न करने के निदेश दे सकता है और इस तरह की बकाया राशि प्राप्त होने पर निलंबन रद्द किया जा सकता है।

12 अनुज्ञप्ति रद्द करना- ब्यूरो इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा।

उपाबंध - I

(इस स्कीम के पैरा 5 का उप पैरा (1) देखें)

फीस संरचना

1. आवेदन शुल्क रु. 1,000/-

2. ऑडिट शुल्क: (प्रारंभिक ऑडिट, पुनःप्रमाणीकरण और विशेष ऑडिट हेतु)

क) भारत में स्थित इकाईयों के लिए:

(i) बड़े औद्योगिक उद्यम- रु 12,000/- प्रति श्रम दिवस

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक उद्यम- रु 9,000/- प्रति श्रम दिवस

इकाई के स्थान से 250 किमी. तक की दूरी तक की यात्रा का और ऑडिटर्स के रहने का वास्तविक आधार पर खर्च का वहन विनिर्माता द्वारा किया जाएगा।

ऑडिट शुल्क में छूट: यदि ऑडिट के दौरान वास्तविक यात्रा खर्च लागत से कम है, तो संबंधित क्षेत्र के उप-महानिदेशक बड़े औद्योगिक उद्यमों की यात्रा में खर्च किए गए के लिए रु 4,000/- प्रति दिन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की यात्रा में खर्च किए गए के लिए रु 3,000/- प्रति दिन तक की छूट दे सकते हैं।

(ख) भारत के बाहर स्थित इकाईयों के लिए:

(i) प्रति श्रम दिवस रु 12,000/- प्रभारित किए जाएंगे।

(ii) विनिर्माता सभी खर्चों को वास्तविक आधार पर वहन करेगा, जिसमें ऑडिट, यात्रा आदि के संबंध में सम्मिलित ऑडिटर्स द्वारा खर्च किए गए श्रम के लिए लेकिन ब्यूरो की लागत तक सीमित नहीं है।

3. प्रमाणन शुल्क

इस अनुलग्नक की सारणी क में निर्दिष्टानुसार वार्षिक प्रमाणन शुल्क होगा।

सारणी क

क्रम सं	उत्पाद श्रेणी	इकाई दर (रूपए में)	न्यूनतम प्रमाणन	न्यूनतम प्रमाणन	न्यूनतम प्रमाणन
			बड़े उद्योग के लिए शुल्क, प्रति वर्ष (रु. में)	लघु और मध्यम उद्योग के शुल्क, प्रति वर्ष (रु में)	सूक्ष्म उद्योग के लिए शुल्क, प्रति वर्ष (रु में)
1.	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	पहले 4,00,000 किलो- लीटर के लिए 3 प्रति 1,000 लीटर और उसके बाद 2 प्रति 1,000 लीटर (तरल दूध के मामले में बेचा गया तरल दूध और दूग्ध आधारित उत्पादों के मामले में कच्चे दूध की खपत)	1,00,000	80,000	60,000

टिप्पण 1: उद्यमों का वर्गीकरण "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)" पर आधारित होगा।


टिप्पण 2: यहां उल्लिखित सभी शुल्क में कोई भी कर सम्मिलित नहीं हैं।

उपाबंध -II


(इस स्कीम के पैरा 6 का उप पैरा (2) देखें)

भाग-क

रंग का सम्मिश्रण



	क (चौड़ाई)	ख (लंबाई)	ग (पतलापन)	घ (फोंट व साइज़)	ङ (लाइनों के बीच का अंतर)
मुख्य सर्किल	60 एमएम	60 एमएम	0.75 एमएम	-	-
ब्लू ड्रॉप	27 एमएम	36 एमएम	-	-	-
व्हाइट हैंड	21 एमएम	26 एमएम	-	-	-
आईएसआई लोगो	10 एमएम	7.5 एमएम	-	-	-
गाय	31 एमएम	38 एमएम	0.3 एमएम	-	-
लाइन (गाय के नीचे)	43 एमएम	-	0.75 एमएम	-	1.3 एमएम
पत्र (सर्किल के नीचे)	47 एमएम	-	-	एरियल (सामान्य) 8 पीटीएस	



आकृति 1 मानक चिह्न हेतु मोनोग्राम

मानक चिह्न के मोनोग्राम के चित्रात्मक निरूपण में आकृति 1 में दर्शाई गई शैली में सटीक आरेखण और सारणी 1 में दिया गया सापेक्ष अनुपात

सारणी 1 मोनोग्राम के अधिमानित आयाम
सभी आयाम मिलीमीटर में

A	B	a	R	r	अक्षरों के आकार
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 मि.मी.
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 मि.मी.
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 मि.मी.
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 मि.मी.
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 मि.मी.
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 मि.मी.
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 मि.मी.
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 मि.मी.

प्ररूप-1

(इस स्कीम के पैराग्राफ 3 उप-पैराग्राफ(1) के खंड (छ) को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

एकीकृत उत्पाद, प्रबंध पद्धति और प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम

मानक मुहर का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

फर्म का पूरा नाम

कार्यालय	पता				टेली
					फैक्स
गांव/ शहर	जिला	राज्य	देश	पिन कोड	ई-मेल

कारखाना	पता				टेली
					फैक्स
गांव/शहर	जिला	राज्य	देश	पिन कोड	ई-मेल

शीर्ष प्रबंधन वर्ग का विवरण	नाम	पदनाम	नाम	पदनाम
	1		1	
	2		2	
	3		3	
	4		4	
	तकनीकी प्रबंधन का विवरण			

संपर्क व्यक्ति	नाम	टेली	ई-मेल

पत्राचार का पता	कार्यालय	ईकाई का पैमाना	वृहद	सार्वजनिक
	कारखाना		एमएसएमई (उल्लेख करें, कि सूक्ष्म, लघु या मध्यम)	

एक दिन में की जाने वाली सिफ्टें	
साप्ताहिक अवकाश (यदि कोई हो)	

इस आवेदनपत्र का उपयोग बीआईएस से मानक मुहर के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है:

क्रम. सं.	उत्पाद	भारतीय मानक विशिष्टि	किस्में (ग्रेड/ प्रकार/वर्ग इत्यादि)
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

भारतीय मानक (मानकों)के अनुसार उक्त संबद्ध प्रबंध पद्धति के अनुपालन के लिए है।

उक्त संबद्ध प्रक्रिया अनुपालन की अपेक्षाएँ हैं।

निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता दर्शाएँ और आवेदन पत्र के साथ जमा करें:

क्रम.सं	दस्तावेज	हां/नहीं/लागू नहीं
(i)	क) फर्म की स्थापना, (जैसे फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसाइटी/तकनीकी विकास महानिदेशालय/उद्योग के निदेशक द्वारा जारी निगमन का प्रमाणपत्र या इसी तरह के अन्य दस्तावेज जो फर्म के नाम और उसके परिसर को अधिप्रमाणित करते हों) ख) कारखाने के पते का प्रमाण ग) यदि लागू हो, तो वैध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रमाणपत्र, घ) आवेदनपत्र पर फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए जाने के मामलों में, प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र	
(ii)	क) प्रत्येक उत्पाद के लिए निरीक्षण और परीक्षण योजना ख) विनिर्माण मशीनरी की सूची ग) अंशोधन स्थिति के साथ परीक्षण उपकरणों की सूची घ) योजना अभिन्यास (सूचक स्केच, सटीक माप/ पैमाना होने की अपेक्षा नहीं है) ड.) संस्थापित उत्पादन क्षमता और अनुमानित मूल्य के विवरण के साथ प्रक्रिया प्रवाह चार्ट च) आउटसोर्स किए गए प्रचालन और प्रयोग किए गए नियंत्रणों के विवरण छ) प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाने वाला यथा लागू कच्चा माल	
(iii)	क) परीक्षण रिपोर्ट, इन-हाउस/ तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला ख) प्रबंध पद्धति के अनुपालन पर दस्तावेज़ीकरण (उदाहरण के लिए, नीति/प्रक्रिया/मैनुअल, जैसा लागू हो) ग) जैसा निर्दिष्ट किया गया है, प्रक्रिया अपेक्षाओं का अनुपालन घ) प्रमाणन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कार्मिकों की संख्या	
(iv)	यथा लागू घोषणाएं	

घोषणाएं:

- i. मेरे/ हमारे पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन क्रमशः जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक सहमति/ मंजूरी है (यदि लागू हो)।
- ii. इसके अतिरिक्त मैं/ हम समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपेक्षित और/ या संबद्ध मानक अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी दस्तावेज संबंधी जानकारी को संशोधित, परिशोधित या परिवर्तित करने के लिए वचनबद्ध है।
- iii. मैं/हम तारीख के करार/उद्धरण पत्र संख्या के अनुसार और/या ब्यूरो द्वारा स्कीम में दिए गए और लागू निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।
- iv. मैंने/हमने अनुज्ञप्ति की शर्तों को पढ़ लिया है और एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन बनाए गए नियमों तथा आवेदकों के लिए उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है।
- v. यदि ब्यूरो द्वारा कोई प्रारंभिक जांच की जाती है, तो मैं/हम ब्यूरो के आदेश पर सभी उचित सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सहमत हैं और मैं/हम ब्यूरो द्वारा आवश्यक होने पर उक्त जांच के सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी सहमत है।
- vi. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने पहले को के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया था जो पूरा नहीं हुआ है।

- vii. मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अधीन दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही कोई मुकदमा लंबित है।

या

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अधीन लंबित दोषसिद्धि/अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:

.....
.....

- viii. मुझे/हमें कभी भी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चेतावनी/ सलाह नहीं दी गई है।

या

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुझे/ हमें प्राप्त चेतावनी/ सलाह का विवरण निम्नानुसार है:

.....
.....

- ix. इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि इस प्रपत्र में कोई भी भ्रामक सूचना दी गई है, तो मैं/ हम इसके लिए उत्तरदायी होंगे और यदि कोई गलत सूचना दी गई है, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। यदि अनुज्ञप्ति को उक्त सूचना के आधार पर प्रदान किया गया है, जो बाद में गलत पाई जाती जाती है, तो अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस प्रपत्र के प्रयोजन हेतु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे, जो समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में संशोधित होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 27 की उपधारा (5) के उपबंध के अनुसार ब्यूरो और उसके प्रमाणन अधिकारियों द्वारा कारखाना दौरा (दौरों) से किसी भी प्रकार का कथन करना या सूचना देना या सबूत देना या प्राप्त सूचना को ब्यूरो द्वारा गोपनीय रखा जाएगा।

टिप्पण: अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट <https://www.bis.gov.in/> देख सकते हैं।

	राशि (₹)	रसीद/लेनदेन का विवरण
शुल्क का विवरण		

फर्म की मुहर		हस्ताक्षर नाम पदनाम आवेदन की तारीख	
फर्म का पैन या व्यवसाय अनुज्ञप्ति संख्या		डीआईएन सं.(निदेशक के मामले में) पैन नं. (अन्य मामलों के लिए)	

महत्वपूर्ण: आवेदन पर फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

प्ररूप-II

(इस स्कीम के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ(5) के खंड(क) को देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो

इस अनुज्ञप्ति की अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पाद.....औरप्रक्रिया अपेक्षाएं..... प्रबंध पद्धति के अनुपालन के प्रमाणन के लिए अनुज्ञप्ति

[..... के लिए द्वारा प्रत्यायित, जैसा लागू हो]

अनुज्ञप्ति सं.

ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, एतद्वारा निम्नलिखित को मंजूरी देता है / पुनः प्रमाणन देता है।

(जिसे इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारक कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित प्रबंध पद्धति, प्रक्रिया अपेक्षाएँ तथा उत्पादों हेतु स्कीम- IX के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक को ब्यूरो की सूची में इस अनुज्ञप्ति के अनुसार इसी संख्या धारक को अधिकार एवं अनुज्ञप्ति सूचीबद्ध किया जाए।

इस तरह के उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया का निर्माण/प्रदान केवल अनुज्ञप्तिधारक के पते पर किया जाएगा और इस प्रमाणपत्र की अनुसूची में दिए गए मानकों/अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

उक्त अनुज्ञप्ति उपरोक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन दिया जाता है, जो ऊपर संदर्भित अनुज्ञप्ति को शासित करते हैं, और अनुज्ञप्तिधारक एतद्वारा उक्त अधिनियम, नियमों और विनियमों का विधिवत् पालन करने के लिए ब्यूरो के साथ अनुबंध करते हैं।

यह अनुज्ञप्ति से तक वैध रहेगी और विनियमों में निर्धारित के अनुसार पुनः प्रमाणित की जाएगी।

इसे दिनांक..... को के दिन हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

नामित प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या की अनुसूची

जारी:

..... प्रबंध पद्धति के अनुपालन के लिए उत्पाद के लिए भारतीय मानक के अनुसार प्रक्रिया अपेक्षाएं निम्नानुसार है:

क्रम. सं	विशिष्टियां	उत्पाद	किस्में/प्रकार/ग्रेड इत्यादि
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

आज वर्ष.....केमाह की.....तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया है।

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
पदाभिहित प्राधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर”

स्मिता जी. नायर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./500/2021-22]

टिप्पण : मूल विनियम फा.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 4 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् फा.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 12 अक्टूबर, 2018, फा.सं. बीएस/11/11/2020 तारीख 21 फरवरी, 2020, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 5 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 जून, 2021 फा.सं. बीएस/11/11/2021 दिनांक 5 अगस्त, 2021, और फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा संशोधन किया गया।

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

F. No. BS/11/11/2021.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) (Sixth Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, in Schedule – II, after Scheme VIII, the following scheme shall be inserted, namely:-

“Scheme - IX

Conformity Assessment Scheme for Grant of licence to use or apply Standard Mark for goods and articles conforming to Indian Standard combined with conformity of management system to Indian Standard and conformity of process requirements, as specified –

1. **Scope.-** (1) Under this scheme which is based on combination of product certification and management system along with process requirements, if applicable, the Bureau may grant licence to use or apply Standard Mark for goods or article (hereinafter referred to as product) manufactured in a manufacturing premises which conform to all requirements of Indian Standards for that product and demonstrates conformity of management system to the relevant Indian Standards and conformity to process requirements, as specified.

Explanation: “Manufacturing premises” means premises, either owned by the manufacturer or otherwise, where a part of the manufacturing activity takes place and includes such premises where the final manufacturing activity is carried out and where Standard Mark is to be used or applied.

- (2) The grant of licence and its operation shall be done in accordance with the processes described under para 3.

2. **Definitions.-** (1) “Inspection and Testing Plan” means a plan adopted by the manufacturer for establishing laboratory and exercising control at different stages in the production process including final testing of product for compliance to Indian Standard and such plan specifies the level of control and the

frequency of inspection and testing so as to ensure that the final product conforms to the relevant Indian Standard.

(2) "Third Party Laboratory" means a laboratory established, maintained or recognized by the Bureau or any of the Government laboratories empaneled by the Bureau or any other laboratory decided by the Executive Committee of the Bureau.

3. Processes of the scheme.- (1) Selection.- (a) The manufacturer shall identify-

- (i) the applicable Indian Standard for the product, and the applicable management system, as required, Indian Standard against which it intends to obtain a licence.
- (ii) the machinery available in manufacturing premises and prepare a list and if any part of the manufacturing activity is outsourced, details of controls exercised shall be indicated.
- (iii) the test equipment required to carry out testing in accordance with the relevant Indian Standard, relevant inspection and testing plan and prepare a list of the available equipment;
- (iv) for the tests which are permitted to be sub-contracted and not available with the manufacturer, he shall identify test facility outside the factory where such tests can be carried out and inform the same to the Bureau;

(b) the manufacturer shall submit inspection and testing plan which it proposes to implement in its day to day production so as to ensure that the final product conforms to the relevant Indian Standard;

(c) the manufacturer shall ensure that the product has been tested for conformity with all requirements of the Indian Standard;

(d) in cases where duration of any test is more than one month and the manufacturer is a new manufacturing unit, the relaxation may be permitted by the Bureau for concerned product;

(e) the manufacturer shall be responsible for the conformity of the Management System, as required, to the relevant Indian Standard for which the licence is applied for and shall furnish evidence of such conformity when so required by the Bureau;

(f) the manufacturer shall be responsible for compliance to process requirements, wherever and as specified by the Bureau;

(g) the manufacturer may apply for grant of licence with all relevant documents as per Form - I annexed to this Scheme and the Bureau shall follow any one of the following procedure or any combination thereof, for grant of licence, namely:-

- (i) (I) the manufacturer shall submit complete test report of the product which is issued from a third party laboratory along with the application;
- (II) the Bureau shall arrange visit for assessment of production process and audit of the management system, as required, and may draw a verification sample for third party laboratory testing;
- (III) the Bureau may carry out testing of the product in the laboratory facility available with the manufacturer, either in-house or outside, if required;
- (IV) the licence shall be granted without waiting for the test report of the verification sample, if drawn and review of the licence shall be made on receipt of the test report;
- (ii) (I) the Bureau shall arrange visit for assessment of production process and audit of the management system, as required, and testing of the product in the factory when complete testing facilities are available with the manufacturer, situated in-house or outside the factory;
- (II) the licence shall be granted based on the testing of the samples in the factory;
- (iii) the Bureau shall arrange visit for assessment of production process and audit of the management system, as required, and drawing of sample for testing in a third party laboratory and the licence shall be granted after demonstration of conformity through the test report of this sample;

- (iv) (I) the Bureau shall arrange visit for assessment of production process and audit of the management system, as required, and testing of the product in the factory for some of the requirements for which testing facilities are available with the manufacturer either in-house or outside the factory and draw samples for testing in a third party laboratory for the remaining or all requirements;
- (II) the licence shall be granted based on the testing of the samples demonstrating conformity to relevant Indian Standard;

(h) in case of foreign manufacturers, an authorized Indian representative based in India shall be nominated.

(2) Determination.- (a) The Bureau shall, on receipt of the application, examine if all required documents have been submitted in the application, and if the application is complete, it shall arrange audit for assessment of production process, conformity of product, management system and process requirements, as required, in consultation with the manufacturer;

(b) during the visit, the following activities shall be carried out by the Bureau:

- (i) verification of documents submitted by the manufacturer;
- (ii) verification of the plant layout and manufacturing process with levels of control exercised at various stages;
- (iii) verification of available infrastructure including manufacturing machinery and test equipment, competence of person in-charge of quality control, storage facilities and hygienic conditions, if applicable;
- (iv) verification of compliance to the inspection and testing plan submitted by the manufacturer;
- (v) verification of test equipment calibration status;
- (vi) verification of competence of testing personnel;
- (vii) verification of conformity of product to relevant Indian Standard based on test report from third party laboratory or witnessing the testing of product in the factory for all possible tests;
- (viii) drawing of sample of product and sending it to third party laboratory for testing;
- (ix) audit of the management system, as required, as per the relevant Indian Standard;
- (x) verification of compliance of process requirements, as specified;

(c) the report of the evaluation visit shall be prepared and any inadequacy observed during the visit shall be communicated in writing to the manufacturer and the Bureau may require the manufacturer to carry out such alterations or additions on the basis of scrutiny of documents or on the basis of evaluation visits carried out.

(3) Review.- (a) The report of the evaluation visit shall be reviewed for its compliance with the requirement of sub-paragraph (2);

(b) the test result of the product shall be reviewed for their correctness and conformance to the Indian Standard;

(c) the conformity of the management system, as required, to relevant Indian Standard and compliance to specified process requirements shall also be reviewed.

(4) Decision.- The decision on grant of licence shall be taken when the Bureau is satisfied that the manufacturer has necessary infrastructure for manufacturing quality product on a continuous basis, the test results indicate conformity of the product to the specified requirements, management system, as specified, is in conformity with the relevant Indian Standard and the process compliance is as required and as specified.

(5) Attestation.- On taking decision to grant a licence, attestation indicating the scope of the licence, licence number, address of the manufacturer, validity of licence, certification fee, details of the Indian Standard, facsimile of the Standard Mark, as applicable shall be issued to the manufacturer as per Form - II annexed to this Scheme:

Provided that in case of foreign manufacturers, agreement for grant of licence and indemnity bond, duly executed on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred, shall be submitted by the foreign manufacturer or his authorized Indian representative:

Provided further that a performance bank guarantee for US Dollars twenty-five thousand issued by any bank having Reserve Bank of India approved branch in India shall be submitted by the foreign manufacturer or alternatively, performance bank guarantee shall be submitted by the foreign manufacturer in equivalent Indian rupees for US Dollars twenty-five thousand as on the date of grant or renewal of licence.

(6) Surveillance.- (a) The Bureau may carry out surveillance visit at manufacturing premises either with or without prior intimation and the need for carrying out the surveillance visit may be decided keeping in view the risk associated with the product;

(b) any variation observed during such visit shall be communicated to the manufacturer and the Bureau may draw samples during such visit for testing;

(c) the Bureau may draw samples from market and send such samples for testing to a third party laboratory along with the test request and in case drawing of market sample is not possible due to any reason, samples may be drawn from the despatch point;

(d) the Bureau may obtain feedback preferably from organized buyers.

4. Complaints.- (1) The Bureau shall acknowledge and investigate any complaint received regarding quality of the product covered under licence.

(2) The actions for closure of complaint shall be completed within ninety days, excluding the testing time, where testing of the product is involved.

(3) If complaint is established, the Bureau may direct the licensee to take necessary corrective actions.

5. Fee.- (1) The application fee, audit fee and certification fee shall be as specified in Annexure-I.

(2) The actual certification fee on unit rate basis or minimum certification fee, whichever is higher, shall be payable by the licensee every year.

Note 1 : The actual certification fee for the first year shall be calculated by multiplying the unit rate with the quantity in units marked during the first nine months.

Note 2 : The actual certification fee for subsequent years shall be calculated on year-to-year basis after the first nine months.

(3) In case of cancellation of a licence, certification fee shall not be refunded by the Bureau:

Provided that when an Indian Standard is withdrawn, but not superseded by any other Indian Standard, proportionate certification fee shall be refunded.

(4) For any visit other than visit for surveillance or complaint end investigation purposes, cost shall be borne by the manufacturer.

(5) In case of extension of scope of licence, an amount of rupees five thousand shall be chargeable per addition in scope of licence for new product or variety or group of varieties, where grouping guidelines are available, or system and the audit fee charges as specified in Annexure - I shall also be applicable.

(6) The testing fee of samples, other than those which may be drawn during the applicant verification visit, surveillance or complaint investigation, as the case may be, shall be borne by the manufacturer.

(7) If actual certification fee is more than minimum certification fee, the difference of the fee shall be paid annually.

(8) Where volume of production is high, the Bureau may direct such licensees to pay actual certification fee on a quarterly basis.

6. Labelling and Marking requirements.- (1) Each product or the package or both under a licence shall be marked with the Standard Mark.

(2) The design of Standard Mark for milk and milk products shall be as given in Annexure – II and in other cases, the design of Standard Mark shall be as given in Scheme-I, unless any other Standard Mark has been notified by the Bureau for this purpose.

(3) The Standard Mark shall carry the licence number and reference to the Standard in a visible manner and shall be as specified in the licence.

(4) In case the licence number cannot be placed beneath the Standard Mark, it shall be suitably placed close to the Standard Mark.

(5) Product details, as per the requirement of the Indian Standard, which may include variety, lot or batch number, date or week of manufacturing, complete address of manufacturer, etc., shall be marked on either the product or the packaging or contained in a label attached to the product.

(6) The marking details shall also contain reference to the website of the Bureau so that consumer may, if wishes, verify the authenticity of the product covered under the licence.

(7) If the Standard Mark cannot be applied on the product or the packaging physically, it can be given on the test certificate.

(8) For any specific product, additional labelling and marking requirements as specified by the Bureau shall be complied with.

7. Conditions of Licence.- The conditions of licence, as given in regulation 6, shall be mentioned in the licence and in addition, the following conditions shall be applicable, namely:-

(1) The holder of licence shall, -

(a) at all times, remain responsible for conformance of the system in respect of which licence has been granted;

(b) not use the licence in any manner which in the opinion of the Bureau may be misleading or use or apply the Standard Mark in any manner not permitted by the Bureau;

(c) inform the Bureau of any changes in management or address of the firm or conditions which were declared earlier;

(d) implement the provisions of amendment to Indian Standard or revised Indian Standard, as the case may be, upon issue of amendment or revision within the stipulated time as specified by the Bureau;

(e) comply with any directions issued by the Bureau from time to time;

(2) Upon expiry of the period of validity or upon suspension or cancellation of the licence, the holder of the licence shall -

(a) discontinue its use forthwith and withdraw all promotional and advertising material which contains any reference thereto;

(b) return the licence document to the Bureau in the event of licence being surrendered or cancelled;

(c) inform the Bureau in writing of discontinuation of operations exceeding three months;

(3) The conformity assessment activities relating to grant and operation of licence may be carried out or witnessed by the auditors authorized by the Bureau as per the requirements of conformity assessment scheme.

8. Validity of Licence.- (1) The licence to use Standard Mark shall normally be granted for a period of three years.

(2) The period of licence may be extended or reduced in case of revision or superseding of applicable Indian Standard.

(3) The licence to use Standard Mark is normally re-certified for a period of three years and shall be effective from the date specified in the order.

(4) The re-certification period may be extended or reduced depending on the re-certification decision or revision of the applicable Indian Standard or on request of the manufacturer.

(5) All the fee, including grant of licence and re-certification fee, shall be paid in advance for the validity period of the licence.

9. Re-certification of Licence.- (1) An application for re-certification of licence to use Standard Mark shall be made before five months of its expiration to the Bureau.

(2) The re-certification of licence shall be done in accordance with regulation 8.

(3) The re-certification of the licence to use the Standard Mark shall be granted, -

(a) if the re-certification application is found to be complete;

(b) on payment of fee as specified; and

(c) on successful re-evaluation of the production process and the management system as per the relevant Indian Standard, as applicable.

10. Change in scope of licence.- (1) For extension in scope of licence, application shall be made either along with a complete test report of the product issued by a third party laboratory or along with a request to Bureau to draw the sample for testing either in-house or outside the manufacturer premises.

- (2) The manufacturer shall also submit the details of any changes in the management system and process requirements, as applicable.
- (3) The Bureau may change the scope of licence after successful evaluation through evaluation visit, if required.
- (4) If there are no changes in inspection and testing plan or infrastructure including manufacturing machinery and test equipment and extension in scope of licence is in the same group of sampling guidelines, the test report may not be required for extension in scope of licence.

11. Suspension.- (1) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark or under intimation to the Bureau if, at any time, there is difficulty in maintaining either the conformity of the product to specified requirements or the conformity of the management system to the relevant Indian Standard or compliance to specified process requirements, or any test equipment goes out of order or due to natural calamities such as flood, fire, earthquake, etc., or a lock out declared by the management, or, closure of operations directed by a competent court or statutory authority.

- (2) The revocation of suspension may be done as soon as the deficiencies are removed and information shall be sent to the Bureau immediately but not later than seven days of such revocation.
- (3) The licensee on its own shall suspend the use of the Standard Mark or under intimation to the Bureau on relocation of manufacturing unit to a new premises.
- (4) The revocation of suspension may be done by the Bureau after verification of the old premises and evaluation of production process, management system and process compliance at new premises.
- (5) (a) The Bureau may suspend the licence for use of Standard Mark on one or more product and direct the licensee not to use Standard Mark on such product if, at any time, it has sufficient evidence that the product bearing the Standard Mark may not be conforming to the relevant Indian Standard and such evidence may include, but not limited to, one or more of the following, namely:-
 - (i) consecutive test reports indicating non-conformity of the product to the relevant Indian Standard, as applicable;
 - (ii) non-availability of testing personnel even as Standard Mark is being used;
 - (iii) use of Standard Mark on the non-conforming product or using Standard Mark in a manner not permitted by the Bureau;
 - (iv) major deviation observed in the implementation of inspection and testing plan;
 - (v) major deviation observed in the compliance to management system requirements as per relevant Indian Standard;
 - (vi) major deviation observed in the compliance to specified process requirements;
 - (vii) major modification in the manufacturing process without prior evaluation of the Bureau;
 - (viii) relocation of manufacturing unit to a new address without intimation;
 - (ix) prolonged closure of manufacturing unit for more than six months without intimation;
 - (x) corrective actions are not taken within the time frame specified by the Bureau;
 - (xi) false declaration in relation to the licence or indulged in falsification of records or unfair trade practices;
 - (xii) non-compliance of any instruction issued by the Bureau from time to time.

(b) The licensee, whose licence has been put under suspension for all or specific product, shall stop –

- (i) using or applying Standard Mark on such product;
- (ii) the dispatches of such product bearing the Standard Mark.

(c) A confirmation in this regard shall be sent to the Bureau immediately followed by confirmation of having taken corrective actions and the Bureau may then arrange visit to the factory to verify the corrective actions.

(d) The revocation of suspension may be done by the Bureau if the licensee, –

(i) has taken necessary corrective actions; or

(ii) has provided sufficient evidence of conformity of the product, management system to the relevant Indian Standard and compliance to specified process requirements.

(6) The Bureau may suspend the licence after issuing a notice of twenty-one days and direct the licensee not to use Standard Mark on its product when necessary fee and other charges are not paid and such suspension may be revoked on receipt of the dues.

12. Cancellation of Licence.- The Bureau shall cancel the licence in accordance with the provisions of regulation 11.

Annexure – I

(refer sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Scheme)

Fee Structure

1. Application fee ₹ 1,000/-

2. Audit Fee: (for initial audit, re-certification and special audit)

(a) For units located within India:

(i) Large Industrial Enterprises- ₹. 12,000/- per manday

(ii) Micro, Small and Medium Industrial Enterprises- ₹. 9,000/- per manday

Travel limited to a distance of 250 km from the location of the unit and stay of auditors on actual basis shall be borne by the manufacturer.

Relaxation in audit fee: If the Actual Travel Cost incurred during an audit is less, the regional Deputy Director Generals may grant relaxation upto ₹ 4,000/- per manday spent in travelling for Large Industrial Enterprises and ₹ 3,000/- per manday spent in travelling for Micro, Small and Medium Enterprises.

(b) For units located outside India:

(i) ₹ 12,000/-per manday shall be chargeable.

(ii) The manufacturer shall bear all expenses on actual basis, including but not limited to cost to the Bureau for the man-days spent by auditor(s) in connection with the audit, resultant travel etc.

3. Certification fee

The yearly certification fee shall be as specified in Table-A of this Annexure.

Table-A

Sr. No.	Product category	Unit rate (in ₹)	Minimum certification fee large scale, per annum (in ₹)	Minimum certification fee Small and Medium Enterprises, per annum (in ₹)	Minimum certification fee Micro Enterprises, per annum (in ₹)
1.	Milk and milk products	3 per 1,000 litre for first 4,00,000 kilo-litres and 2 per 1,000 litres thereafter (Liquid milk sold in case of liquid milk and Raw milk consumed in case of milk based products)	1,00,000	80,000	60,000


Note 1: Classification of enterprises will be based on “The Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).”

Note 2: All the fees mentioned herein are exclusive of any taxes.

Annexure – II

(refer sub-paragraph (2) of paragraph 6 of this Scheme)

Part - A



	A (Width)	B (Height)	C (Thickness)	D (Font & Size)	E (Gap between lines)
Main Circle	60mm	60mm	0.75mm	-	-
Blue drop	27mm	36mm	-	-	-
White hand	21mm	26mm	-	-	-
ISI Logo	10mm	7.5mm	-	-	-
Cow	31mm	38mm	0.3mm	-	-
Lines (bottom of cow)	43mm	-	0.75mm	-	1.3mm
Letters (bottom of circle)	47mm	-	-	Arial (Normal) 8 pts.	

Part - B




Figure 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Figure 1 and in relative proportions as given in Table 1.

Table 1 Preferred Dimensions of Monogram
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

Form - I

(refer clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of this Scheme)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Integrated Product, Management system and process certification scheme

Application for licence to use the Standard Mark

Full Name of Firm

Office	Address				Tel
					Fax
Village/City	District	State	Country	Pin Code	E-mail

Address					
Factory					Tel
					Fax
Village/City	District	State	Country	Pin Code	E-mail

Top Management details	Name	Designation	Technical Management details	Name	Designation
	1			1	
	2			2	
	3			3	
4	4				
Contact Person	Name			Tel	E-mail

Correspondence Address	Office	Scale of Unit	Large	Sector	Public
	Factory		MSME (Mention, whether Micro, Small or Medium)		Private

Number of shifts in a day	
Weekly off (if any)	

This application is made to obtain BIS licence for usage of Standard Mark on:

Sr. No.	Product	Indian Standard Specification	Varieties (Grade/Type/Class etc.)
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

The associated management system(s) for compliance is/are as per Indian Standard(s)

The associated process compliance requirement(s) is/are

Indicate availability of following documents and submit alongwith the application form:

Sr. No.	Document(s)	Yes/No/Not applicable
(i)	a) Establishment of firm, such as Certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Directorate General of Technical Development/ Director of Industries or similar other documents authenticated the name of firm and its premises) b) Address proof of the factory c) Valid Micro, Small and Medium Enterprises certificate, if applicable d) Authorized representative letter, in case application signed by person other than Chief Executive Officer of the firm	
(ii)	a) Inspection and testing plan for each product b) Manufacturing machinery list c) Testing equipment list with calibration status d) Plan layout (indicative sketch, need not be to exact measurements/scale) e) Process flow chart with details of installed production capacity and estimated value f) Details of outsourced operations and controls exercised h) Raw materials used for each product, as applicable	
(iii)	a) Test report(s), in-house/third party laboratory	

	b) Documentation on compliance to management system (For example; policy/procedures/manuals, as applicable) c) Compliance to process requirements, as specified d) Number of personnel involved in scope of certification	
(iv)	Declarations, as applicable	

Declarations:

- (i) I/We have necessary consents/clearances as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively under the Environment (Protection) Act, 1986. (If applicable)
- (ii) I/We further undertake to modify, amend or alter my/our documented information to bring it in line with the requirements of the relevant standard and/or as required by Bureau of Indian Standards from time to time.
- (iii) I/We agree to pay fee prescribed by the Bureau as applicable and as given in the scheme and/or as per the agreement/quotation letter No. _____ dated _____
- (iv) I/We have read the conditions of licence and hereby undertake to abide by them as mentioned in the guidelines for applicants and the regulations framed under the Bureau of Indian Standards Act, 2016.
- (v) Should any initial enquiry be made by the Bureau, I/We agree to extend to the Bureau all reasonable facilities at my/our command and I/We also agree to pay all expenses of the said enquiry, as and when required by the Bureau.
- (vi) Certified that I/We had earlier applied for a licence to Bureau of Indian Standards for _____ on _____ which could not mature.
- (vii) I/We have not been convicted under the Bureau of Indian Standards Act in any court of law and neither any prosecution is pending.

OR

The details of convictions/prosecutions pending under the Bureau of Indian Standards Act are as under: _____

- (viii) I/We have never been warned/advised by Bureau of Indian Standards for any of our actions violative of the Bureau of Indian Standards Act/

OR

The details of warning/advice received by me/us for violating the Bureau of Indian Standards Act are as under: _____

- (ix) The information given in this application form are true to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall be responsible, if any misleading information given in this form and the application shall be liable for rejection if any wrong information has been given. If the licence is granted on the basis of information which is found to be incorrect later, the licence shall be liable for cancellation.

Explanation.- For the purpose of this form, the expression micro, small and medium enterprises shall have the meaning assigned to it in the Micro, Small Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), as amended from time to time.

The information obtained by the Bureau and its certification officers from any statement made or information supplied or any evidence given or from factory visit(s) shall be treated as confidential by the Bureau as per provision of sub-section (5) of section 27 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Note: For more details, you may please visit our website <https://www.bis.gov.in/>

Fee Details	Amount (₹)	Receipt/transaction details

Seal of Firm		Signature	
		Name	
PAN or Business licence no. of Firm		Designation	
		Date of application	
		DIN no.(in case of director)	
		PAN no. (for other cases)	

Important: Application should be signed by Chief Executive Officer of the firm, or in his absence by authorized representative

Form - II

(refer clause (a) of sub-paragraph (5) of paragraph 3 of this Scheme)

Bureau of Indian Standards

Licence for certification of compliance to Management system(s), Process requirements and Products listed in the Schedule to this licence

[Accredited by for, as applicable]

Licence no.

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to

(hereinafter called the licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of licensee as per Scheme - IX for Management System(s), Process requirements and Product(s) described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence.

Such product(s)/service(s)/process(es) shall be manufactured/provided/carried by the licensee at only the address(es) and in accordance with the Standard(s)/requirements given in the schedule of this certificate.

The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licence referred to above, and the licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Act, Rules and Regulations.

This licence shall be valid from to and may be recertified as prescribed in the regulations.

Signed, Sealed and Dated this day of

For Bureau of Indian Standards

Name and Signature of Designated authority

Schedule to licence no.

Issued to:

for compliance of Management system(s) as per Indian Standard(s)
..... and process requirements for the Product(s) as follows:

Sr. No.	Specifications	Product	Variety/Type/Grade etc.
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

Signed, Sealed and Dated this day of month of year

For Bureau of Indian Standards
Name and Signature of Designated authority”

SMITHA G. NAIR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./500/2021-22]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 12th October, 2018, F.No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020, F.No. BS/11/11/2021 dated the 4th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated 4th June, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th August, 2021 and BS/11/11/2021 dated the 27th October, 2021.